रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032020-218784
CG-DL-E-19032020-218784

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66] **नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2020/फाल्गुन 27, 1941**
No. 66] **NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2020/PHALGUNA 27, 1941**

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

सं. एन-67013/1/2019-बी.एम.अनुभाग.—राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) एक रजिस्टर्ड सोसाइटी की स्थापना 1982 में जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय घटक के विस्तृत अध्ययन, सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य करने के लिए सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) के अधीन की गई। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के कार्य गजट अधिसूचना संख्या 1(7)/80-पी.पी. दिनांक 26.08.1981 के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए। सरकार ने तत्पश्चात् संकल्प संख्या 22/27/92-बी.एम. दिनांक 11 मार्च, 1994 के द्वारा जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के हिमालय घटक को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के कार्यों में संशोधन किया। संकल्प संख्या 1(7)/80-पी.पी. दिनांक 26.8.1981 के पैरा 3 और 5 में विहित सोसाइटी एवं शासी निकाय का गठन संकल्प संख्या 2/9/2002-बी.एम./58 दिनांक 13 फरवरी, 2003 तथा दिनांक 12 मार्च, 2004 द्वारा किया गया तथा अधिसूचना संख्या 2/18/2005 बी.एम. दिनांक 30.11.2016 द्वारा संबंधित राज्यों से सहमति मिलने के पश्चात जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (रा.प.यो.) के अंतर्गत नदी लिंक प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि.प.रि.) तैयार करने के लिए कार्यकलापों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के कार्यों में संशोधन किया गया। आगे, संबंधित सह बेसिन राज्यों की सहमति से उनके द्वारा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि.प.रि.) तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के कार्यों में संकल्प संख्या 2/18/2005-बी.एम./943 दिनांक 19.05.2011 द्वारा शामिल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 07.10.2016 की गजट अधिसूचना संख्या 2/17/2016-बीएम के माध्यम से एनडब्ल्यूडीए के कार्यों (मैंडेट) में दो और नए कार्य जोड़े गए नामतः (i) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के

अंतर्गत परियोजनाओं को आरंभ करने/उनका निर्माण करने/मरम्मत/नवीकरण/पुनर्वास/कार्यान्वयन करना और (ii) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऐसी किसी उधार ली गई निधि/धन/जमा/ऋण इत्यादि का भुगतान करने के लिए उधार ली गई निधि अथवा जमा पर प्राप्त धन अथवा ब्याज पर लिए गए ऋण संग्रहकर्त्ता (ऋण की रिपौजिटरी) के रूप में कार्य करना।

अब यह निर्णय लिया गया है कि एन.डब्ल्यू.डी.ए. के कार्य (घ) "संबंधित राज्यों की सहमति के बाद जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदी लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य" को आगे संशोधित करते हुए "जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदी लिंक प्रस्तावों के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य और इसके बाद परियोजना के क्रियान्वयन के लिए संबंधित राज्यों की सहमति प्राप्त करने के लिए उनसे संपर्क करने का कार्य" किया जाएगा।

उपरोक्त कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को सक्षम बनाने के लिए उद्देश्य में निम्नानुसार संशोधन किए जाते हैं:

(क) तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) व केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार प्रायद्वीपीय नदी विकास एवं हिमालय नदी विकास घटकों के प्रस्ताव, जो कि जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) का हिस्सा हैं, की व्यवहार्यता के लिए संभव जलाशय स्थलों तथा परस्पर जोड़ने वाली लिंकों के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण करना।

(ख) विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियां तथा हिमालयी नदी प्रणालियों में जल की मात्रा जो कि बेसिन/राज्यों की समुचित आवश्यकता को पूरा करने के बाद निकट भविष्य में अन्य बेसिनों/राज्यों में अंतरण किया जा सकती है, के संबंध में व्यापक अध्ययन करना।

(ग) प्रायद्वीपीय नदी विकास एवं हिमालय नदी विकास से जुड़ी स्कीम के विभिन्न घटकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।

(घ) जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण और जांच कार्य करना और नदी जोड़ प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना और तत्पश्चात परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सहमति प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्यों से संपर्क करना।

(ङ) राज्यों द्वारा यथा प्रस्तावित अंतः राज्यीय लिंकों की पूर्व व्यवहार्यता/व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पहले ऐसे प्रस्तावों के लिए संबंधित संयुक्त बेसिन वाले राज्यों की सहमति ली जाएगी।

(च) नदियों को जोड़ने का एक भाग बनने वाली परियोजनाओं या प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जिनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) की परियोजनाएं शामिल की गई हैं, ऐसे ही अन्य परियोजनाओं को स्वयं या नियुक्त एजेंसी/संगठन/पी.एस.यू. या कंपनी द्वारा परियोजना को अपने तहत लेना / निर्माण / मरम्मत / नवीयन / पुनर्वास / क्रियान्वयन करना।

(छ) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) के निर्देश पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जमाओं अथवा ब्याज पर दिए गए ऋण या किसी और प्रकार से प्राप्त धन के संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करेगा और इस प्रकार उधार ली गई निधि/जमा राशि/ऋण आदि का पुनर्भुगतान सुरक्षित करने के लिए वर्तमान या भविष्य दोनों में सोसाइटी की सभी या किसी अन्य सम्पत्ति, परिसम्पत्ति को राजस्व में बंधक, गिरवी रखकर या वैध अधिकार (लियन) कर सकता है।

(ज) उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सोसाइटी द्वारा अन्य ऐसे प्रासंगिक, सम्पूरक अथवा सहायक कार्य करना जिन्हें सोसाइटी आवश्यक समझे।

देवश्री मुखर्जी, अपर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

RESOLUTION

New Delhi, the 16th March, 2020

No. N-67013/1/2019-BM Section.—The National Water Development Agency (NWDA), a Registered Society under the then Ministry of Irrigation {now Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation (DoWR, RD&GR) under Ministry of Jal Shakti} was set up in the year 1982 to carry out detailed studies, surveys and investigations in respect of Peninsular Component under National Perspective Plan for Water Resources Development. The functions of NWDA were published under para 4 of the Gazette Notification No. 1 (7)/80-PP dated 26.08.1981. The Government subsequently modified the functions of NWDA to include the Himalayan Component of National Perspective Plan for Water Resources Development through the Resolution No. 22/27/92-BM dated 11th March, 1994, composition of Society and Governing Body contained in Para 3 & 5 of the Resolution No. 1(7)/80-PP dated 26.08.1981 through the Resolution Nos. 2/9/2002-BM dated 13th Feb, 2003 & 12th March, 2004 and modified the functions of NWDA to include the activity to prepare the Detailed Project Report (DPR) of River Link proposals under National Perspective Plan (NPP) for Water Resources Development after concurrence of the concerned States vide Notification No. 2/18/2005-BM dated 30.11.2006. Further, with the concurrence of the concerned co-basin States the preparation of DPRs of Intra-State links as may be proposed by the States was added in the functions of NWDA vide Resolution No. 2/18/2005-BM/943 dated 19th May, 2011. Further, two more new functions in the mandate of NWDA were added vide Gazette Notification No. 2/17/2016-BM dated 07.10.2016 *viz*., (i) to undertake/construct/repair/renovate/rehabilitate/implement the projects under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna (PMKSY) and (ii) to act as a repository of borrowed funds or money received on deposit or loan given on interest to secure the repayment of any such borrowed funds/money/deposit/loan etc. for the execution of projects.

It has now been decided to further amend the function (d) of NWDA i.e. *"To prepare detailed project report of river link proposals under National Perspective Plan for Water Resources Development after concurrence of the concerned States" as "To carry out surveys & investigations work and prepare Detailed Project Reports of river link proposals under National Perspective Plan for Water Resources Development and thereafter approach concerned States for obtaining concurrence for implementation of the project."*

To enable National Water Development Agency to undertake above activities, functions are modified as under:

a To carry out detailed survey and investigations of possible reservoir sites and inter-connecting links in order to establish feasibility of the proposal of Peninsular Rivers Development and Himalayan Rivers Development Components forming part of the National Perspective for Water Resources Development prepared by the then Ministry of Irrigation (now DoWR, RD&GR, Ministry of Jal Shakti) and Central Water Commission.

b To carry out detailed studies about the quantum of water in various Peninsular River systems and Himalayan River systems which can be transferred to other basins/States after meeting the reasonable needs of the basin/States in the foreseeable future.

c To prepare feasibility report of the various components of the scheme relating to Peninsular Rivers development and Himalayan Rivers development .

d To carry out surveys & investigations work and prepare Detailed Project Reports of river link proposals under National Perspective Plan for Water Resources Development and thereafter approach concerned States for obtaining concurrence for implementation of the project.

e To prepare pre–feasibility/feasibility/detailed project reports of the intra-state links as may be proposed by the States. The concurrence of the concerned co-basin States for such proposals may be obtained before taking up their FRs / DPRs.

f To undertake/construct/repair/renovate/rehabilitate/implement the projects either of its own or through an appointed Agency/Organizations/PSU or Company and the projects forming part of Interlinking of Rivers, for completion of projects falling under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna (PMKSY) of which projects under Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP) are also included and similar other projects .

g NWDA to act as a repository of borrowed funds or money received on deposit or loan given on interest or otherwise in such manner, as directed by MoWR, RD&GR (now DoWR, RD&GR, MoJS) and to secure the repayment of any such borrowed funds/money deposits/ loan etc. by way of mortgage, pledge, change or lien upon all or any other property, assets or revenue of the society both present and future.

h To do all such other things the Society may consider necessary, incidental, supplementary or conducive to the attainment of above objectives .

DEBASHREE MUKHERJEE, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.19 13:57:32 +05'30'